

the pioneer

RAIPUR | THURSDAY, | DECEMBER 04, 2014



छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल

### सर्वसाधारण को सूचना

सर्व साधारण को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रधान पीठ, नई दिल्ली ने, सिविल रिट पिट्रीशन क्र. 3727 सन् 1985 के साथ साथ मूल आवेदन क्र. 196 सन् 2014, 202 सन् 2014 से 481 सन् 2014 में कृष्णकान्त सिंह विरुद्ध सेसस हिन्दुस्तान कोकाकोला बिबेरेज प्राइवेट लिमिटेड, महन्दीगंज, राजासालाब, वाराणसी एवं अन्य के प्रकरण में, गंगा नदी एवं उसकी सहायक नदियों के प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के संबंध में दिनांक 17/11/2014 की आदेश पारित किया है, उक्त आदेश की 'छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल की वेबसाइट [www.enviscegb.org](http://www.enviscegb.org)' पर देखा जा सकता है।

संवाद-65949

सदस्य सचिव

# TheHitavada

RAIPUR ■ Thursday ■ December 4 ■ 2014



## CHHATTISGARH ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD FOR INFORMATION TO ALL CONCERNED

Notice is hereby given to the general public that, the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi in the Civil Writ Petition No. 3727 of 1985 along with Original Applications No. 196 of 2014, 202 of 2014 to 481 of 2014 in the matter of Krishan Kant Singh vs. M/s. Hindustan Coca Cola Beverages Pvt. Ltd., Mandiganj, Rajatalab, Varanasi and Others has passed an Order dated 17/11/2014 regarding prevention and control of pollution of River Ganga and its tributaries, the said order may be seen at the Chhattisgarh Environment Conservation Board's website : [www.cenviscbo.org](http://www.cenviscbo.org).

HR/2409/025-35249/4-19/14

MEMBER SECRETARY

**छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल****सर्वसाधारण को सूचना**

सर्व साधारण को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रधान पीठ, नई दिल्ली ने सिविल रिट पिटीशन क्र. 3727 सन् 1985 के साथ-साथ मूल आवेदन क्र. 196 सन् 2014, 202 सन् 2014 से 481 सन् 2014 में कृष्ण कांत सिंह विरुद्ध मेसर्स हिन्दुस्तान कोकाकोला बिबेरेज प्राइवेट लिमिटेड, मेहन्दीगंज, राजातालाब, वाराणसी एवं अन्य के प्रकरण में गंगा नदी एवं उसकी सहायक नदियों के प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के संबंध में दिनांक 17.11.2014 को आदेश पारित किया है, उक्त आदेश को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल की वेबसाइट [www.enviscecb.org](http://www.enviscecb.org) पर देखा जा सकता है।

सं-65949

सदस्य सचिव

अम्बिकापुर गुरुवार 04 दिसम्बर 2014

पृष्ठ

06



### छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल

#### सर्वसाधारण को सूचना

सर्व साधारण को, एतद्वारा, सूचित किया जाता है कि माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रधान पीठ, नई दिल्ली ने, सिविल रिट पिटीशन नं. ३७२७ सन् १९८५ के साथ-साथ मूल आवेदन नं. १९६ सन् २०१४, २०२ सन् २०१४ से ४८१ सन् २०१४ में कृष्ण कांत सिंह विरुद्ध मेसर्स हिन्दुस्तान कोकाकोला बिवैरेज प्राइवेट लिमिटेड, मेहन्दीगंज, राजातालाब, वाराणसी एवं अन्य के प्रकरण में, गंगा नदी एवं उसकी सहायक नदियों के प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के संबंध में, दिनांक १७/११/२०१४ को आदेश पारित किया है, उक्त आदेश को, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल की वेबसाइट- '[www.enviscecd.org](http://www.enviscecd.org)' पर देखा जा सकता है ।

सदस्य सचिव